संख्या : 1762 /V/2006–293(सा.)/2005

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक : 30 नवम्बर, 2006

विषयः नगर पालिका परिषद, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005–06 में सी.सी. सड़कों हेतु स्वीकृत कार्यों को टाइल सड़कों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप संशोधित आगणन पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 401/V–श.वि.–06–293(सा.)/2005 दिनांक 3.3.2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत सी.सी. सड़कों को टाइल सड़कों में परिवर्तित किए जाने हेतु, नगर पालिका परिषद, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन रू. 89.995लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार रू. 89.97लाख (रू. नवासी लाख सतानबे हजार मात्र) की लागत की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में सी.सी. सड़कों हेतु स्वीकृत रू. 68.38लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए स्वीकृति हेतु अवशेष (रू. 89.97लाख–रू. 68.38लाख) रू. 21.59लाख (रू. इक्कीस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
4. टाइल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 3173/V-श.वि./2006 दिनांक 30.8.2006, जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यो पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। उक्त योजनाओं का अब पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(पार्वती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

9. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
11. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
12. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
13. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
16. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
17. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
18. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
19. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
20. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
21. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(श्रीमती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1003/XXVII(2)/2006 दिनांक 30अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या :1766(1)/V/2006 तद्दिनांक। 30/11/06

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा (ऊधमसिंह नगर)।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन.के. जोशी)
अपर सचिव।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

शासनादेश संख्या 1762 / v–श0वि0–06–293 (सा0) / 05, दिनांक– 30 नवम्बर अक्टूबर, 2006 का संलग्नक

क0सं0	कार्य का नाम	टाईल सड़कों हेतु संशोधित आगणन की लागत	अनुमोदित आगणन / स्वीकृत धनराशि
01	वार्ड नं0–1 में श्री करीमुल्ला वाली एवं कशमीरी वाली गली में टाईल रोड एवं नाली निर्माण	0.405	0.40
02	वार्ड नं0–2 में हरिजन बस्ती से श्री सुरेश के मकान तक खड़ण्जा एवं नाली निर्माण	0.77	0.77
03	वार्ड नं0–5 में महेन्द्र के मकान से श्री रस्तोगी के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	1.31	1.31
04	वार्ड नं0–6 में श्री ओम प्रकाश के मकान से श्री रस्तोगी के मकान तक तथा श्री शर्मा ड्रायवर के मकान से श्री भुवन कापड़ी के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	1.22	1.22
05	वार्ड नं0–6 में श्री नत्थू लाल के मकान से श्री गोपाल जोशी के मकान तक, श्री सुशील चन्द्र के मकान से श्री नन्हे के मकान तक तथा श्री महेश भट्ट के मकान से श्री बी0के0वल्दिया के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	2.30	2.30
06	वार्ड नं0–6 में श्री गोपाल सिंह के मकान से श्री सेवाराम के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	0.76	0.76
07	वार्ड नं0–6 व7 के मध्य श्री मोहन के मकान से श्री पिंकी के मकान से होते हुए श्री तिवारी के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	6.61	6.61
08	वार्ड नं0–6व 7 के मध्य श्री पंत के मकान से स्टेशन रोड तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण (पार्क रोड)	8.72	8.72
09	वार्ड नं0–7 में श्री ज्ञान प्रकाश के मकान से श्री रामपाल के मकान तक एवं इंडिया मार्का हैण्डपंप से पुड़किया के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	2.49	2.49
10	वार्ड नं0–7 के में श्री लालू के मकान, श्री वीरेन्द्र के मकान, श्री बहीदुल्ला के मकान के पास एवं श्री पी0एस0 बेगुला के मकान से श्री कुण्डल दत्त के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	2.09	2.09
11	वार्ड नं0–7 में श्री बिशनसिंह मैनवाल के मकान से श्री होशियार सिंह के मकान तक एवं श्री भैरव दत्त के मकान से श्री राजेन्द्र कुशवाहा के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	5.30	5.30
12	वार्ड नं0–8 में हरिजन बस्ती श्री सुभाष कक्कड़ के मकान से श्री नित्थूलाल के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	3.445	3.44
13	परीक्षा नर्सिंग होम के पास शहीद स्मारक होते हुए रेलवे स्टेशन तक टाईल एवं नाली निर्माण	17.81	17.81
14	गोटिया, खटीमा में हाजी रफीक अहमद की दुकान से टनकपुर रोड तक (पंत मार्ग) टाईल रोड निर्माण	12.425	12.42
15	कंजाबाग मार्ग(पोस्टआफिस के सामने) ऐंठा नाले की पुलिया से तसव्वर के मकान तक टाईल रोड निर्माण	11.38	11.38
16	वार्ड नं0–9 में सितारगंज मार्ग से हिन्द पब्लिक स्कूल एवं डा0 जी0सी0 पांडे के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	5.92	5.92
17	वार्ड नं0–9 में सितारगंज मार्ग पर डा0 कलसी की दूकान से श्री रजा के मकान से होते हुए श्री फकीर दत्त के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	5.205	5.20
18	वार्ड नं0–4 में श्री रविन्द्र के मकान से श्री मुन्ना के मकान तक टाईल रोड एवं नाली निर्माण	1.835	1.83
	कुल योग	89..995	89.97

नोट : उक्त अनुमोदित रू. 89.97लाख के विरूद्ध सी.सी. सड़कों हेतु रू. 68.38लाख पूर्व में अवमुक्त हो चुके हैं। अब टाइल सड़कों हेतु अन्तर की धनराशि रू. 21.59लाख अवमुक्त की जा रही है।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

अवस्थापना विकास बजट/

30120606 3